न्यायालयः— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग— 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चन्देरी जिला—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000172000</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-380 / 2009</u> <u>संस्थापित दिनांक-30.11.2000</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—गंगाराम पुत्र भीकमसिह आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम
उमरिया, चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :— श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 01.12.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456,354,323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी भूरीबाई ने दिनांक 11.11.2000 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 10.11.2000 को रात्रि में 11:30 बजे आरोपी उनके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया फरियादी के अनुसार उसके चिल्लाने पर उसके पति उठ गये तथा आरोपी ने उसके पति को डंडे से मारा जिससे उन्हें चोट आई फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 381/2000 के अंतर्गत भादिव की धारा 456,354,323के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 456,354,323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.11.2000 को रात के लगभग 11:30 बजे ग्राम उमरिया में परिवादिनी भूरीबाई के आवासीय मकान में उसका सील भंग करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त परिवादिनी का सील भंग करने के आशय से उसका हाथ पकढकर व छाती दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त परिवादिनी तथा उसके पति भगवानसिंह को स्वेच्छयापूर्वक लकडी से साधारण उपहित कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रामराजा, अ.सा.3 भगवानिसह, अ.सा.4 भूरीबाई, अ.सा.5 नारायणिसह, अ.सा.6 रूपिसह, अ.सा.7 रूपनारायण, अ.सा.8 केशविसह एवं अ.सा.9 डॉ व्ही के शर्मा की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 रामराजा, अ.सा.5 नारायणिसह, अ.सा.6 रूपिसह, अ. सा.7 रूपनारायण ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षीगण के अनुसार उन्होंने पुलिस कथन नहीं दिया। उक्त साक्षीगण के अनुसार उनके समक्ष नक्सा मौका प्र0पी01 एवं जप्त पंचनामा प्र0पी02 की कोई कार्यवाही नहीं हुंई। उक्त साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये है तथा उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि प्र0पी01 नक्सा मौका की कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी फिरयादी के घर में रात्रि में घुसा था।

08— अ.सा.9 डॉ व्ही के शर्मा ने अपने कथन मे बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 11.11.2000 को आहत भूरीबाई एवं भगवानसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा किय गये परीक्षण की रिपोर्ट प्र0पी07 एवं प्र0पी08 है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत भूरीबाई एवं भगवानसिंह के शरीर पर चोटें पाई थी तथा भूरीबाई के शरीर पर तीन चोटे थी एवं भगवानसिंह के शरीर पर 12 चोटें थी। इस प्रकार अ.सा.8 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहतगण को चोटें आई थी। प्रकरण मे आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह निश्चित करना है कि क्या उक्त चोटें आरोपी द्वारा आहतगण को पहुचाई गई थी। अ.सा.8 केशवसिंह बुदेला द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा नक्सा मौका प्र0पी01 तैयार किया गया था तथा फरियादिया से प्र0पी02 के अनुसार चूडी के टुकडे उसने जप्त किये थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने

साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है किउसने प्रकरण में झूंठी विवेचना की थी।

09— अ.सा.3 भगवानसिंह तथा अ.सा.4 भूरीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वे आरोपी को जानते हैं। उक्त साक्षीगण के अनुसार घटना दिनाक को आरोपी उसके घर में आया था तथा उसकी पत्नी का हाथ पकड लिया था जिससे उसकी पत्नी की हाथ की चूडिया फूट गईथी। अ.सा.3 के अनुसार आरोपी ने उसे फरसे और लाठी से मारा था जिससे उसे चोटें आई थी। अ.सा.4 के अनुसार आरोपी उनके घर में घुस गया था और उसका हाथ पकड लिया था। अ.सा.4 के अनुसार आरोपी ने उसके पित के साथ मारीट की थी जिससे उन्हें चोटें आई थी। अ.सा.4 के अनुसार आरोपी ने लाठी से उसके पित को मारा था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी03 उन्होंने लेखवद्ध कराई थी। दोनो साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि उनकी आरोपी से पुरानी रंजिश है।

10— प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा.3 एवं अ.सा.4 ने स्पष्टरूप से अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनाक को आरोपी रात्रि में उनके घर में घुस आया था तथा आरोपी ने भूरीबाई का हाथ पकड लिया था। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनाक को आरोपी ने भगवानसिंह के साथ मारपीट की थी जिससे उन्हें चोटें आई थी। अ.सा.3 एवं अ.सा.4 की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा.9 की साक्ष्य से हो रही है। यद्यपि प्रकरण में अन्य साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये है किंतु मात्र उक्त साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि अभियोजन द्वारा झूंठा मामला प्रस्तुत किया गया है समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन का मामला झूंठा या संदेहास्पद है। उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। उपरोक्त

समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फरियादिया के मकान में अपराध करने के आशय से रात्रि में घुसा था तथा उसने फरियादिया का हाथ पकडकर उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया था एवं भगवानसिंह के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित की थी। परिणामतः आरोपी को भादि की धारा 456,354,323 में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

11— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

> (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग–01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी

पुनश्च:-

12— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री के एन भार्गव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है तथा आरोपी ने रात्रि मे घुसकर उक्त अपराध कारित किया है, इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश 13-से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा रात्रि में किसी के घर में घुसकर कोई अपराधक कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भूगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में 01 माह के साधारण कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा354 के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 456 के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा उक्त तीनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

14— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कांच की चूडी के टुकडे मूल्यहीन होने नष्ट किये जावे, अपील होने की दशा में माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

16— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे। 17— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) (जफर इकबाल) व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी व्य0 न्याया0 वर्ग—01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, चंदेरी ग्राम न्यायालय, चंदेरी